बाबूराम बनाम तहसीलदार सोजत
राजस्व विविध प्रा०पत्र सं० :– 189/2025

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 189/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. बाबूराम पुत्र ईशराराम जाति विश्नोई निवासी विश्नोईयो की ढाणी, भाणीया तह0 सोजत जिला पाली राज0		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

दिनांक – 18/12/2025

–: निर्णय :–

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम भाणीया, पटवार हल्का राजोला कंला, भू.अ.नि.क्षेत्र चौपड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान खाता संख्या 116 के खसरा नम्बर 259/1 रकबा 0.9300 हैक्टर तथा वर्तमान खाता संख्या 117 के खसरा नम्बर 241 रकबा 1.3600 हैक्टर व खसरा नम्बर 397 रकबा 0.9700 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.3300 हैक्टर की भूमि प्रार्थी की एकमात्र खातेदारी कब्जा काश्त कृषि भूमि आयी हुई स्थित है, लेकिन उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बाबुराम के स्थान पर बाबुलाल त्रुटीवश दर्ज है। उक्त वर्णित वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थी की एकमात्र खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई स्थित हैं, जिस कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम वक्त इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के दस्तावेजी नाम का अवलोकन किये बगेर बाबुराम के स्थान पर बाबुलाल दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम बाबुराम ही हैं जो कि प्रार्थी ही है तथा ईशराराम के उत्तराधिकारी वारिसान में प्रार्थी के अलावा अन्य कोई पुत्र बाबुराम व बाबुलाल नहीं है, अर्थात बाबुराम व बाबुलाल एक ही व्यक्ति है जो प्रार्थी है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम स्लीप ऑफ पैन व सद्भाविक त्रुटीवश वक्त इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में सेटलमेन्ट पश्चात बाबुलाल दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी का सही व दस्तावेजी नाम बाबुराम ही है, उक्त रेकर्ड में दर्ज बाबुराम व बाबुलाल एक ही व्यक्ति प्रार्थी है, दोनो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। प्रार्थी के इसी वादस्थ भूमि के बैचान दस्तावेज में बाबुराम अंकित हैं तथा खसरा नम्बर 259/1 की कृषि भूमि को प्रार्थी द्वारा भागीरथ पुत्र ईशराराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24/05/2007 को खरीद की गई उक्त बैचान दस्तावेज में भी प्रार्थी का नाम बाबुराम ही अंकित है इसी प्रकार खसरा नम्बर 241 की कृषि भूमि को भी प्रार्थी द्वारा नारायण, मंगल, लछीया, पिसरान केतूर तथा भीकी बेवा केतूर जाति लौहार निवासी भाणीया से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

उपखण्ड अधिकारी

दिनांक 04/07/2000 को खरीद की जिस बैचान दस्तावेज में भी प्रार्थी का नाम बाबुराम ही अंकित है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम बाबुराम है तथा प्रार्थी के स्वंय के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, मतदाता पहचान पत्र, भारतीय स्टेट बैंक की खाता पासबुक में भी बाबुराम ही अंकित है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम बाबुराम ही है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी का ही अपने हक हिस्से की भूमि पर बहैसियत खातेदार के कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग आज दिन तक चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थी उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज बाबुलाल पुत्र ईशराराम के स्थान पर रेकर्ड दुरस्त करवा कर बाबुराम पुत्र ईशराराम दर्ज करवा कर रेकर्ड दुरस्त करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादस्थ कृषि भूमि ग्राम भाणीया, पटवार हल्का राजोला कंला, भू.अ.नि.क्षेत्र चौपड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान खाता संख्या 116 के खसरा नम्बर 259/1 रकबा 0.9300 हैक्टर तथा वर्तमान खाता संख्या 117 के खसरा नम्बर 241 रकबा 1.3600 हैक्टर व खसरा नम्बर 397 रकबा 0.9700 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.3300 हैक्टर की भूमि के राजस्व रेकर्ड में बाबुलाल पुत्र ईशराराम के स्थान पर बाबुराम पुत्र ईशराराम दुरूस्त करने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया जाता हैं।

वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके व रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/2025/1469 दिनांक 10.10.2025 के जरिये प्रस्तुत कर पटवारी हल्कानुसार प्रार्थी बाबुराम विश्नोई पुत्र ईसराराम जाति विश्नोई निवासी भाणीया द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, पेंशन पीपीओ कार्ड में प्रार्थी का नाम बाबुराम विश्नोई है, जबकि जमाबंदी में बाबुलाल पुत्र ईसराराम दर्ज है। बाबुराम विश्नोई तथा बाबुलाल एक ही व्यक्ति हैं। बाबुलाल पुत्र ईसराराम नाम का कोई व्यक्ति नहीं हैं। अतः बाद जांच बाबुलाल पुत्र ईसराराम के स्थान पर बाबुराम विश्नोई पुत्र ईसराराम नाम किये जाने की अनुशंषा की जाती हैं, की रिपोर्ट पेश की, जो सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज प्रार्थी का नाम बाबुलाल दर्ज करने में भूल की है। बल्कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम बाबुराम है तथा ईशराराम के उत्तराधिकारी वारिसान में प्रार्थी के अलावा अन्य कोई पुत्र

बाबुराम व बाबुलाल नहीं है, अर्थात बाबुराम व बाबुलाल एक ही व्यक्ति है जो प्रार्थी है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बाबुलाल के स्थान पर बाबुराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत मय हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर बाबुलाल व बाबुराम दोनों एक ही व्यक्ति होना तथा प्रार्थी का नाम बाबुलाल के स्थान पर बाबुराम के नाम से शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थी के दस्तावेजी साक्ष्य यथा आधार कार्ड सं0 3530 4958 9678, पैन कार्ड सं0 APIPV5941E, राशन कार्ड, भूतपूर्व सैनिक का पहचान पत्र इत्यादि में भी प्रार्थी का नाम बाबुराम विश्नोई दर्ज हैं। अतः इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम बाबुराम होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम बाबुलाल पुत्र ईशराराम के स्थान पर बाबुराम पुत्र ईशराराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम बाबुलाल पुत्र ईशराराम के स्थान पर बाबुराम पुत्र ईशराराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है, तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 18/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत